उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-276/2016/1052/38-1-2016&3508/2013

लखनऊ: दिनांक: 26 अगस्त, 2016

**<u>नियुक्ति/विज्ञप्ति</u>**

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,2013 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अनुकूल चरित्र सत्यापन एवं राज्य चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ्य घोषित किये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए इन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुए निम्नलिखित नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित जनपद में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं:-

| **क्र0** | **नाम सर्वश्री** | **पिता/पति का नाम** | **पत्राचार का पता** | **गृह जनपद** | **तैनाती का जनपद** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | विकास खण्डेलवाल | श्री सुनील खण्डेलवाल | 368 प्रथम तल भाई परमानन्द कालोनी नई दिल्ली। | पीलीभीत | शाहजहॉपुर |
| 2 | अमित कुमार मिश्र | श्री रामनिवास मिश्र | म0नं0-69-ए शास्त्री नगर कालोनी निकट पीलीकोठी शाहजहॉपुर 242001 | शाहजहॉपुर | बरेली |

**2-** जनपद के विकास खण्ड में तैनाती सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

**3-** सम्बन्धित अभ्यर्थियों की तैनाती के जनपदों में विभिन्न विकास खण्डों में 01 माह की फील्ड ट्रेनिंग दिये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित जिलाधिकारियों के द्वारा इनकी विकास खण्डों में स्वतंत्र रूप से तैनाती की जायेगी।

**4-** इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्ते शासन द्वारा निर्गत की गई नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन विनियमित होंगी।

**5-** प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षिक तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं जिन अभ्यर्थी ने पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया है, को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे अभ्यर्थियों को योगदान करने की अनुमति प्रदान न करें।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**6-** तैनाती के जनपद तक जाने/पहुॅचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**7-** प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में उक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली- 1991 ॽअद्यावधिक संशोधन सहितॽ के सुसंगत नियमों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

**8-** यह नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका ॽसिविलॽ संख्या-14299-14301/2007 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रति पारसनाथ पाल तथा अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

**एन0के0 सिंह**
विशेष सचिव।

संख्या-276/2016/1052(1)/38-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-15/9/2015-का-4-2015 दिनांक 05.05.2015 के संदर्भ में प्रेषित।
(3) निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी अलीगंज, लखनऊ।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(5) महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(8) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, शाहजहॉपुर/बरेली ।
(9) वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर/बरेली ।
(10) मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, बरेली।
(11) सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त समझा जायेगा।
(12) गार्ड फाईल। ]

आज्ञा से

**उमा कान्त पाठक**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in